

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
-: अधिसूचना :-

अधि.संख्या-9/प्रो.-02-03/2025-सा.प्र. 3363 / पटना-15, दिनांक 17.02.2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं. 19300 दिनांक 13.10.2023 के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान आप्त सचिव को वरीय प्रधान आप्त सचिव में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-12) सहित, अस्थायी कार्यकारी प्रभार दिया जाता है, जो निम्नवत् है:-


क्र.	पदाधिकारी का नाम/ गृह जिला	सिविल लिस्ट का क्रमांक (2024 के अनुसार)	वर्तमान धारित पद
1	2	3	4
1	श्री राजेन्द्र चौहान, शेखपुरा	51	प्रधान आप्त सचिव

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं. 19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी के वर्तमान धारित पद को उसके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से वरीय प्रधान आप्त सचिव (विहित वेतनमान वेतन स्तर-12) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त अधिसूचित पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से वरीय प्रधान आप्त सचिव के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(राज किशोर तिवारी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-9/प्रो.-02-03/2025-सा.प्र. 3363 / पटना-15, दिनांक 17.02.2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव (स्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अधिसूचित वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा आई.टी. प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव